पुखराजसिंह बनाम टीकमचन्द वगै.
मुकदमा नम्बर 156/2021

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नावां (नागौर)

मुकदमा नम्बर :– 156/2022

प्रार्थी:–
पुखराजसिंह पुत्र सुमेरसिंह जाति गुर्जर उम्र करीबन 40 वर्ष निवासी नावां तहसील नावां।

बनाम

अप्रार्थीगण:–

1. टीकमचन्द पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति ब्राह्मण उम्र करीबन 65 वर्ष निवासी ग्राम पांचोता तहसील नावां।
2. भूमिधारी जरिए तहसीलदार, नावां तहसील नावां।

प्रार्थना पत्र बाबत :– अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री अंशुल सिंह आर.ए.एस.

उपस्थित :– श्री रोहित कुमार पारीक अधिवक्ता प्रार्थी
श्री हरिराम गुर्जर अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2

निर्णय

दिनांक:– 21.12.2022

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षेप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि कस्बा नावां तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि भूमि के नवीन खसरा नम्बर 2386/107 रकबा 0.20 हैक्टर स्थित रही है। उपर्युक्त खसरा नम्बर 2386/107 रकबा 0.20 हैक्टर भूमि जो प्रार्थी के कब्जा काश्त एवं खातेदारी अधिकारों में चली आ रही है जिसपर प्रार्थी आज दिन निरंतर एवं निर्विवाद रूप से काबिज कृषक खातेदार होकर अपनी सुविधा अनुसार उपयोग व उपभोग में लेता चला आ रहा है। प्रार्थी की उक्त भूमि खसरा नम्बर 2386/107 रकबा 0.20 हैक्टर भूमि का विधिवत विभाजन हो रखा है। प्रार्थी की उपर्युक्त खसरा आराजी भूमि के पश्चिमी तरफ स्थित खातेदार अप्रार्थी संख्या 1 टीकमचन्द पुत्र लक्ष्मीनारायण की भूमि खसरा नम्बर 2437/103 रकबा 0.1116 हैक्टर स्थित चली आ रही है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी की उक्त भूमि अलग अलग खातेदारी में विभाजित होकर दर्ज चली आ रही है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी की उक्त भूमि सीव जोड होने के कारण प्रार्थी की भूमि की सीव नीव एक जगह होने के कारण अप्रार्थी आये दिन प्रार्थी की भूमि की सीव नीव को लेकर झगड़ा ही वाद विवाद करता चला आ रहा है जबकि प्रार्थी अपनी उक्त भूमि पर निरंतर एवं निर्विवाद रूप से काबिज कृषक खातेदार चले आ रहा है। अप्रार्थी प्रार्थी की सीव नीव को हटाकर जबरन अनाधिकृत रूप से भूमि में प्रवेश कर कच्ची पक्की दीवार का निर्माण करने पर आमादा हो

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2023.07.05 15:07:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)

रखा है। जिसका अप्रार्थी को कोई कानूनी हक व अधिकार नहीं है। अप्रार्थी प्रार्थी की सीव नीव को हटाकर जबरन कब्जा कर कच्ची पक्की दिवार निकालने में कामयाब हो गया तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति हो जायेगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी सूरत में संभव नहीं है। इस प्रकार पृथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति के तीनों सिद्धांत प्रार्थी के पक्ष में एवं अप्रार्थी के खिलाफ बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थी संख्या 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी ने निवेदन किया कि अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी करावे कि अप्रार्थी संख्या 1 कस्बा नावां तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि भूमि के नवीन खसरा नम्बर 2386/107 रकबा 0.20 हैक्टर व खसरा नम्बर 2437/103 रकबा 0.1116 हैक्टर भूमि में किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण नहीं करे व प्रार्थी की भूमि में दखलन्दाजी नहीं करे ताकि प्रार्थी के जायज अधिकारों की रक्षा एवं सुरक्षा हो सके।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 का तामील शुदा नोटिस प्राप्त होने के बावजूद भी अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री हरिराम गुर्जर ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि कस्बा नावां के खसरा नम्बर 2386/107 की भूमि प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है प्रार्थी की उक्त भूमि के पश्चिमी तरफ उत्तरदाता की भूमि नवीन खसरा नम्बर 2437/103 रकबा 0.1116 हैक्टर स्थित रही है जिसको उत्तरदाता ने तत्कालीन खातेदार गोरधन पुत्र नन्दाराम जाति नाई से दिनांक 13.10.2017 को जरिये रजिस्टर्ड बैचान नामा क्रय कर भूमि का भौतिक कब्जा उसी दिवस प्राप्त कर लिया था। उत्तरदाता की पूर्वी सीव पर उत्तर से दक्षिण लगभग 40–50 वर्ष पूर्व तत्कालीन खातेदार ने मिट्टी की माठ लगाकर पिलर इत्यादि रोप कर तारबंदी कर रखी है उक्त सीव पर बडे बडे पेड लगे हुए है। प्रार्थी ने भूमि को क्रय करने के पश्चात लाखो रूपया लगाकर मिट्टी की भरत इत्यादि करवाकर काफी उपयोगी व अव्वल बनाया है। मौके पर उत्तरदाता की भूमि प्रार्थी की भूमि से लगभग 5 फुट उंचाई पर स्थित है। प्रार्थी के कब्जा काश्त एवं खतोदारी अधिकारों की भूमि नवीन खसरा नम्बर 2386/107 उत्तरदाता की भूमि खसरा नम्बर 2437/103 के पूर्वी तरफ है। उत्तरदाता अपने कब्जा काश्त एवं खातेदारी अधिकारों की भूमि खसरा नम्बर 2437/103 पर निरंतर एवं निर्विवाद रूप से काबिज कृषक खातेदार चला रहा है। उत्तरदाता की भूमि का विधिवत भू–विभाजन हो रखा है। प्रार्थी ने बिना किसी विधिवत नाप चौक करवाये हस्तगत प्रार्थना पत्र उत्तरदाता की पूर्वी सीव को नष्ट कर भूमि को हडप करने की नियत से प्रस्तुत किया है जो किसी भी सूरत में चलने योग्य नहीं है। उत्तरदाता ने प्रार्थी की सीव माठ के साथ कभी भी छेडछाड नहीं की है। उत्तरदाता की पूर्वी सीव माठ पर वर्षो पुरानी तारबंदी लगी हुई है। प्रार्थी बदमाश प्रवृति का व्यक्ति है जो उक्त सीव माठ की भूमि को जबरन हडपना चाहता है। प्रार्थी अपने खातेदारी अधिकारों में अभिलिखित भूमि के उपयोग व उपभोग के लिए स्वतंत्र है जिसको जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा किसी भी सूरत में पाबंद किया जाना आवश्यक नहीं है। मौके पर उत्तरदाता की भूमि के पूर्वी तरफ प्रार्थी की नहीं होकर उत्तरदाता की कदीमी सीव नीव कायम है। भूमियों के भाव बढ जाने के कारण

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2023.07.05 15:07:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुती से पूर्व उत्तरदाता को यह एलानियां धमकी दी की तुम इस भूमि को मुझे विक्रय करके चले जाओ वरना मैं मेरे ऐजेन्टो के साथ मिलकर मौके पर खुन खच्चर की स्थित उत्पन्न कर तुम्हे तुम्हारी भूमि से हमेशा हमेशा के लिए महरूम कर दूंगा। कदाश्यः प्रार्थी अपने इस नापाक इरादे में कामयाब हो गया तो उत्तरदाता अपने कब्जा काश्त एवं खातेदारी अधिकारों की भूमि से हमेशा हमेशा के लिए वंचित हो जायेगा। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी सूरत में संभव नहीं है। इस प्रकार पृथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति के तीनों सिद्धांत प्रार्थी के पक्ष में नहीं होकर उत्तरदाता के खिलाफ बखूबी साबित है। इसलिए प्रार्थी को ताफैसला वाद जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जाकर प्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमावे कि वह स्वयं या अपने एजेन्टों के मार्फत उत्तरदाता की भूमि खसरा नम्बर 2437/103 की पूर्वी सीव माठ के साथ छेडछाड व दखल नहीं करे।

उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र साबित करने के लिये अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति को सिद्ध करना आवश्यक है, जिनका विवरण इस प्रकार से हैं किः–

1. प्रथम दृष्टया मामला :–

इस बिन्दु को सिद्ध करने का भार प्रार्थी पर था। अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत तथ्यों को दौहराते हुए जाहिर किया कि कस्बा नावां तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि भूमि के नवीन खसरा नम्बर 2386/107 रकबा 0.20 हैक्टर का प्रार्थी खातेदार काश्तकार हैं तथा प्रार्थी की उक्त भूमि का विधिवत विभाजन हो रखा है। प्रार्थी की उपर्युक्त खसरा आराजी भूमि के पश्चिमी तरफ स्थित खातेदार अप्रार्थी संख्या 1 टीकमचन्द पुत्र लक्ष्मीनारायण की भूमि खसरा नम्बर 2437/103 रकबा 0.1116 हैक्टर स्थित चली आ रही है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी की उक्त भूमि अलग अलग खातेदारी में विभाजन अनुसार दर्ज चली आ रही है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी की उक्त भूमि सीव जोड स्थित चली आ रही है तथा भूमि की सीव नीव एक जगह होने के कारण अप्रार्थी आये दिन प्रार्थी की भूमि की सीव नीव को लेकर विवाद करता चला आ रहा है जबकि प्रार्थी अपनी उक्त भूमि पर निरंतर एवं निर्विवाद रूप से काबिज कृषक खातेदार चले आ रहा है। अप्रार्थी प्रार्थी की सीव नीव को हटाकर जबरन अनाधिकृत रूप से भूमि में प्रवेश कर कच्ची पक्की दीवार का निर्माण करने पर आमादा हो रखा है। अधिवक्ता [illegible] संख्या 1 ने दौराने बहस जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए [illegible] कस्बा नावां के खसरा नम्बर 2386/107 की भूमि प्रार्थी की खातेदारी में [illegible] की उक्त भूमि के पश्चिमी तरफ उत्तरदाता की भूमि नवीन खसरा नम्बर 2437/1[illegible] रकबा 0.1116 हैक्टर स्थित रही है जिसको उत्तरदाता ने तत्कालीन खातेदार गोरधन पुत्र नन्दाराम जाति नाई से दिनांक 13.10.2017 को जरिये रजिस्टर्ड बैचान नामा क्रय कर भूमि का भौतिक कब्जा उसी दिवस

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2023.07.05 15:07:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)

प्राप्त कर लिया था। उत्तरदाता की पूर्वी सीव पर उत्तर से दक्षिण लगभग 40–50 वर्ष पूर्व तत्कालीन खातेदार ने मिट्टी की माठ लगाकर पिलर इत्यादि रोप कर तारबंदी कर रखी है। प्रार्थी ने बिना किसी विधिवत नाप चौक करवाये हस्तगत प्रार्थना पत्र उत्तरदाता की पूर्वी सीव को नष्ट कर भूमि को हडप करने की नियत से प्रस्तुत किया है।

उपरोक्त विवेचानुसार प्रार्थी राजस्व रिकॉर्ड अनुसार कस्बा नावां तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि भूमि के नवीन खसरा नम्बर 2386/107 रकबा 0.20 हैक्टर भूमि का रिकॉर्डेड खातेदार है। इसलिए प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है।

(ब) सुविधा का सन्तुलन :–

इस बिन्दु को सिद्ध करने का भार प्रार्थी पर था। इस सम्बन्ध में प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस जाहिर किया हैं कि कस्बा नावां तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि भूमि के नवीन खसरा नम्बर 2386/107 रकबा 0.20 हैक्टर भूमि का रिकॉर्डेड खातेदार है तथा प्रार्थी अपनी हक हिस्से की भूमि में काबिज चला आ रहा हैं जिसपर अप्रार्थी संख्या 1 को कच्चा–पक्का निर्माण एवं दखलंदाजी करने का कोई हक अधिकार नहीं हैं क्योंकि प्रार्थी उपरोक्त भूमि का रिकॉर्डेड खातेदार हैं। साथ ही कस्बा नावां के खसरा नम्बर 2437/103 रकबा 0.1116 हैक्टर भूमि का अप्रार्थी संख्या 1 रिकॉर्डेड खातेदार है इस प्रकार प्रार्थी एवं अप्रार्थी की भूमियां अलग अलग स्थित है तथा प्रार्थी एवं अप्रार्थी अपनी अपनी भूमियों का उपयोग उपभोग करने के लिए स्वतंत्र है। ऐसी स्थिति में सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी की खातेदारी भूमि तक प्रार्थी के पक्ष में एवं अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि तक अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में संयुक्त रूप से प्रतीत होता है।

(स) अपूरणीय क्षति :–

इस प्रकार प्रार्थी की खातेदारी अधिकारों की कस्बा नावां तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि भूमि के नवीन खसरा नम्बर 2386/107 रकबा 0.20 हैक्टर भूमि में किसी प्रकार का कच्चा–पक्का निर्माण एवं दखलंदाजी अप्रार्थीगण द्वारा की जाती है तो प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 1 के मुकाबले अधिक क्षति हो सकती है एवं कस्बा नावां के खसरा नम्बर 2437/103 रकबा 0.1116 हैक्टर भूमि में किसी प्रकार की दखलंदाजी की जाती हैं तो अप्रार्थी संख्या 1 को प्रार्थी के मुकाबले अधिक क्षति हो सकती है जिसकी भरपाई किया जाना संभव नहीं होगा। अतः यह बिन्दू प्रार्थी की खातेदारी भूमि तक प्रार्थी के पक्ष में एवं अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि तक अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में संयुक्त रूप से प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी कस्बा नावां तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि भूमि के नवीन खसरा नम्बर 2386/107 रकबा 0.20 हैक्टर भूमि में अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी हैं तथा कस्बा नावां के खसरा नम्बर 2437/103 रकबा 0.1116 हैक्टर भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 अस्थाई निषेधाज्ञा प्रापत करने का अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2023.07.05 15:07:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)

पुखराजसिंह बनाम टीकमचन्द वगै.
मुकदमा नम्बर 156/2021

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर मूल वाद के निर्णय तक उपभयपक्षकारान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि कस्बा नावां तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि भूमि नवीन खसरा नम्बर 2386/107 रकबा 0.20 हैक्टर भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 किसी प्रकार की दखलंदाजी/कच्चा पक्का निर्माण नहीं करने तथा कस्बा नावां के खसरा नम्बर 2437/103 रकबा 0.1116 हैक्टर भूमि में प्रार्थी किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करें।

यह आदेश आज दिनांक 21.12.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अंशुल सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)
उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2023.07.05 15:07:46 IST
Reason: SelfAttested